डा. राजीव कुमार,
इतिहास विभाग,
एच. डी. जैन कॉलेज, आरा .

---

Topic - Compare the administrative systems of Afghan and Mughal rule in Bihar especially in the context of revenue and judicial system.

बिहार में अफ़ग़ान - शासन और मुग़ल शासन की प्रशासनिक प्रणालियों की तुलनात्मक समीक्षा
(विशेष रूप से राजस्व एवं न्याय व्यवस्था के संदर्भ में)

---

प्रस्तावना :

---

मध्यकालीन भारत के इतिहास में बिहार एक महत्त्वपूर्ण प्रांत रहा, जहाँ 16वीं शताब्दी में पहले अफ़ग़ान शासकों और तत्पश्चात मुग़लों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। अफ़ग़ान शासन विशेष रूप से Sher Shah Suri के काल में संगठित रूप में दिखाई देता है, जबकि मुग़ल शासन का सुदृढ़ीकरण Akbar के समय हुआ। दोनों शासनों ने बिहार में प्रशासनिक ढाँचे, राजस्व प्रणाली तथा न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

---

(क) बिहार में अफ़ग़ान शासन :

बिहार में अफ़ग़ान सत्ता का सुदृढ़ीकरण 16वीं शताब्दी में हुआ। Sher Shah Suri ने बिहार को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। उनकी प्रशासनिक नीतियाँ व्यवहारिक, केंद्रीकृत और दक्षता-प्रधान थीं। उनका शासन अल्पकालीन (1540–1545) था, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली रहा।

(ख) बिहार में मुग़ल शासन :

मुग़ल सत्ता का स्थायित्व Akbar के शासनकाल में स्थापित हुआ। अकबर ने प्रशासन को संस्थागत रूप दिया और बिहार को मुग़ल साम्राज्य के एक सूबा के रूप में संगठित किया।

2. प्रशासनिक संरचना की तुलनात्मक रूपरेखा : आधार -
अफ़ग़ान शासन,
मुग़ल शासन,

प्रशासनिक स्वरूप -
अर्ध-केंद्रीकृत,
पूर्ण केंद्रीकृत,

प्रांतीय संगठन -
सरकार एवं परगना,
सूबा, सरकार, परगना,

अधिकारी -
शिकदार, आमिल
सूबेदार, दीवान, क़ाज़ी

नियंत्रण प्रणाली -
प्रत्यक्ष निगरानी,
पदानुक्रमित संरचना,

अफ़ग़ान प्रशासन अधिक व्यावहारिक और सैनिक-प्रधान था, जबकि मुग़ल प्रशासन अधिक संस्थागत एवं अभिलेखीय व्यवस्था पर आधारित था।

3. राजस्व व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा :
---
(I) अफ़ग़ान राजस्व व्यवस्था,
---
(1) भूमि मापन प्रणाली -
Sher Shah Suri ने भूमि मापन की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई।
भूमि की माप के लिए "सिकंदरी गज" का प्रयोग।
भूमि की उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण।

(2) कर निर्धारण -
औसतन उपज का एक-तिहाई भाग राज्य को।
नकद और उपज दोनों रूपों में कर।
पट्टा (भूमि का लिखित विवरण) और कबूलियत (किसान की सहमति) प्रणाली।

(3) मध्यस्थों की भूमिका -
ज़मींदारों की शक्ति सीमित।
राज्य और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास।

(4) मूल्यांकन -
अफ़ग़ान राजस्व व्यवस्था का लक्ष्य था—
स्थिर आय,
किसानों का संरक्षण,
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण,
किन्तु यह प्रणाली पूर्णतः संस्थागत नहीं थी और अधिकतर शासक की व्यक्तिगत दक्षता पर निर्भर थी।

(II) मुग़ल राजस्व व्यवस्था :
---
(1) दहसाला प्रणाली -
Akbar ने Raja Todar Mal की सहायता से दहसाला प्रणाली लागू की।
दस वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारण।
भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण।
नकद राजस्व पर अधिक बल।

(2) भूमि वर्गीकरण -
पोलज,
परती,
चाचर,
बंजर ।

(3) राजस्व अधिकारी -
दीवान,
अमीन,
कानूनगो,
पटवारी ।

(4) ज़मींदारी व्यवस्था -
मुग़ल काल में ज़मींदारों की भूमिका अधिक संगठित हुई। वे राज्य और किसान के मध्य राजस्व संग्रहण का माध्यम बने।

(5) मूल्यांकन -
अधिक संगठित और दीर्घकालीन।
विस्तृत अभिलेखीय प्रणाली।
किसानों पर कभी-कभी अधिक दबाव।

(III) तुलनात्मक विश्लेषण –
राजस्व पक्ष :
अफ़ग़ान - मुगल ।
अफ़ग़ान व्यवस्था नवाचार की जननी थी, जबकि मुग़ल व्यवस्था उसका परिष्कृत और संस्थागत रूप थी।

4. न्याय व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा :
---
(I) अफ़ग़ान न्याय व्यवस्था :

(1) शासक की भूमिका
Sher Shah Suri स्वयं न्याय की देखरेख करते थे।

(2) न्यायिक अधिकारी :
काज़ी,
मुफ्ती,
शिकदार-ए-शिकदारान।

(3) न्याय के सिद्धांत :
त्वरित न्याय,
कठोर दंड,
धर्मनिरपेक्ष अव्यवहारिकता।

(4) विशेषताएँ :
भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण।
प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी निगरानी।
अपराधियों के प्रति कठोर नीति।

(5) सीमाएँ :
न्याय व्यवस्था अधिकतर शासक की व्यक्तिगत सक्रियता पर निर्भर।
कोई व्यापक संहिताबद्ध कानून नहीं।

(II) मुग़ल न्याय व्यवस्था :
---
(1) सम्राट की भूमिका
Akbar को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था।

(2) न्यायिक संरचना :
काज़ी-उल-कुज़ात,
सूबे का काज़ी,
परगना स्तर पर क़ाज़ी।

(3) शरीअत एवं प्रथागत कानून :
इस्लामी कानून का पालन।

स्थानीय प्रथाओं को भी मान्यता।

(4) अपील व्यवस्था :
निचली अदालत से उच्च स्तर तक अपील।
प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का आंशिक पृथक्करण।

(5) अकबर की धार्मिक सहिष्णुता :
गैर-मुस्लिमों को भी न्याय में समान अवसर।
दीन-ए-इलाही जैसे प्रयोगों के कारण धार्मिक सहिष्णु वातावरण।

(III) तुलनात्मक विश्लेषण –
---
न्याय -पक्ष:
अफ़ग़ान -मुग़ल
स्वरूप
त्वरित, कठोर
संस्थागत, पदानुक्रम

आधार
व्यवहारिक न्याय
शरीअत + प्रथा
अपील
सीमित
विकसित
स्थायित्व
अल्पकालीन
दीर्घकालीन

निष्कर्ष (न्याय):
अफ़ग़ान न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी और त्वरित थी, परन्तु संस्थागत नहीं। मुग़ल न्याय प्रणाली अधिक संरचित और दीर्घकालिक थी।

5. व्यापक प्रभाव :
---
(1) प्रशासनिक निरंतरता :
मुग़लों ने अफ़ग़ानों की कई नीतियों को अपनाया। विशेषकर भूमि मापन और राजस्व निर्धारण की अवधारणा अफ़ग़ान काल से प्रेरित थी।

(2) बिहार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति :
अफ़ग़ान काल: कृषि सुधार, सड़कें, संचार।
मुग़ल काल: शहरीकरण, व्यापारिक विकास।

(3) संस्थागत बनाम व्यक्तिकेंद्रित शासन :
अफ़ग़ान शासन व्यक्तित्व-प्रधान था।
मुग़ल शासन संस्थागत एवं दीर्घकालिक।

6. आलोचनात्मक दृष्टिकोण :
---
अफ़ग़ान प्रशासन ने आधार तैयार किया।
मुग़लों ने उसे परिष्कृत और स्थायी रूप दिया।
राजस्व व्यवस्था में मुग़ल अधिक वैज्ञानिक थे।

न्याय में अफ़ग़ान अधिक त्वरित और कठोर।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि Sher Shah Suri की प्रशासनिक प्रणाली मुग़लों से अधिक कुशल थी, किंतु उसका अल्पकालीन होना उसकी सीमा थी।

निष्कर्ष :
---
बिहार में अफ़ग़ान और मुग़ल प्रशासनिक प्रणालियाँ परस्पर विरोधी न होकर विकास की क्रमिक कड़ियाँ थीं।
अफ़ग़ान शासन ने प्रशासनिक सुधारों की नींव रखी।
मुग़ल शासन ने उसे संस्थागत और स्थायी बनाया।
राजस्व व्यवस्था में मुग़ल प्रणाली अधिक विस्तृत और सांख्यिकीय थी।
न्याय व्यवस्था में अफ़ग़ान अधिक त्वरित, जबकि मुग़ल अधिक संरचित थे।
अतः कहा जा सकता है कि बिहार में मध्यकालीन प्रशासन का विकास अफ़ग़ान नवाचार और मुग़ल संस्थागत परिष्कार के समन्वय का परिणाम था।
---